न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 65/2024 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण
रामकिशन पुत्र पांचू जाति माली निवासी ग्राम पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. राकेश कुमार जैन, तहसीलदार सैंथल जिला दौसा
2. गोविन्दी पांचू पत्नि रामपाल जाति माली निवासी पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा हाल निवासी सीतापुरा तहसील राजगढ जिला अलवर
3. सुकली पुत्री पांचू पत्नि स्व0 प्रभूनारायण जाति माली निवासी पीलवा हाल निवासी नीबू वाली ढाणी भाण्डारेज, तहसील दौसा जिला दौसा
4. धापा पुत्री पांचू पत्नि स्व0 देवाराम जाति माली निवासी पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा हाल निवासी मुही तहसील बसवा जिला दौसा
5. संगारी पुत्री पांचू पत्नि कल्याण प्रसाद जाति माली निवासी पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा हाल निवासी मुही तहसील बसवा जिला दौसा
6.छोटा पुत्री पांचू पत्नि लक्ष्मीनारायण जाति माली निवासी पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा हाल निवासी अस्तल का बास तहसील आंधी जिला जयपुर राज0
7.हीरादेवी पत्नि महादेव,
8.राजेश्वर पुत्र महादेव,
9.रामकरण पुत्र महादेव
10.तुलसी पुत्री महादेव
समस्त जाति माली निवासी ग्राम पीलवा तहसील सैंथल जिला दौसा राज0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

.....अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत नामान्तरण पत्रावली उनवानी सुकली वगै0 बनाम महादेव वगैरह किस्म मुकदमा धारा 135 (2) नंबर 3/2025 न्यायालय तहसीलदार सैथल जिला दोसा आगामी तारीख पेशी दिनांक 21.6.2024

उपस्थित : 1. श्री रिद्धी चंद शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
3.श्री जगजीवनराम, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02से 08 व 10 की ओर से।

—:: निर्णय ::—

दिनांक: 30.4.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय तहसीलदार सैंथल में विचाराधीन धारा 135(2) में मुकदमा नं0 03/2024 को किसी भी दीगर तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार सैंथल से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि न्यायालय तहसीलदार सैंथल में नामान्तरण प्रकरण सुकली वगै0 बनाम महादेव वगै0 किस्म मुकदमा धारा 135 बाबत नामान्तरण सं0 379 दिनांक 20.8. 2007 के संबंध में विचाराधीन है। उक्त प्रकरण अधीनस्थ तहसीलदार सैंथल के समक्ष विचाराधीन चल रहा है जिसमें प्रार्थी को साक्ष्य व सबूत का अवसर दिये बिना ही अप्रार्थी सं0 1 ने प्रार्थी का ऐलानिया कहा कि आज की तारीख पेशी पर उक्त प्रकरण का निर्णय करूंगा जबकि प्रार्थी ने तहसीलदार सैंथल से निवेदन किया कि हम हमारी तरफ से उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

प्रकरण में साक्ष्य व सबूत पेश करेंगे तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास क्या साक्ष्य सबूत है सब साक्ष्य सबूत पेश हो गये मैं तो इसमें फैसला करूंगा। दिनांक 20.6.2024 को अप्रार्थीगण गांव में लोगों से एलानियां कह रहे थे कि तहसीलदार से हमारी बातचीत हो गई है तथा उक्त मुकदमें में तहसीलदार सैंथल आज हमारे पक्ष में फैसला दे देगा तथा प्रार्थी को मुकदमे में हरायेगा। ऐसी सूरत में अधीनस्थ तहसीलदार सैंथल से प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त भी यही है कि जब पीठासीन अधिकारी किसी पत्रावली में रूचि लेकर एक पक्ष की बात बोलने लग जाये तो उससे न्याय की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में अन्तरित किया जाकर नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करने का निर्देश नहीं दिया गया तो प्रार्थी के हक हकूक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी के साथ अन्याय होगा, प्रार्थी न्याय से वंचित रह जायेगा एवं प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। न्याय हित में प्रार्थी के उक्त प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सैंथल में विचाराधीन उनवानी प्रकरण सुकली वगै0 बनाम महादेव वगै0 किस्म मुकदमा धारा 135(2) मु0नं0 3/2024 बाबत नामान्तरण सं0 372 दिनांक 20.8.2007 को किसी दीगर न्यायालय में नियमानुसार सुनवाई कर निर्णय पारित करने के निर्देश के साथ सुनवाई हेतु अन्तरित करने के आदेश फरमावे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि प्रार्थी उक्त मुकदमें का निस्तारण नहीं होने देना चाहता है। मुकदमें को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। प्रार्थी येन केन प्रकारेण मुकदमें की कार्यवाही बाधित करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में असत्य तथ्य अंकित किये गये है जिसे निरस्त फरमाया जावें।
5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 से 8 व 10 की दलील है कि तहसीलदार सैंथल के न्यायालय में रिमांड पत्रावली विचाराधीन है। न्यायालय श्रीमानजी के द्वारा नामान्तरण सं0 372 विरासत को मृतक पांचू के वारिसान के संबंध में जांच कर निर्णय हेतु तहसीलदार सैंथल को रिमांड किया गया है जिसमें तहसीलदार सैंथल के द्वारा विधिवत रूप से कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य असत्य एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बेबुनियादी एवं सत्य से परे है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
6. हमने अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
7. प्रार्थी ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में यह तथ्य अंकित किया गया है कि अप्रार्थीगण की तहसीलदार सैंथल से विचाराधीन मुकदमा धारा 135 (2) बाबत नामान्तरण सं0 372 दिनांक 20.8.2007 के संबंध में बातचीत हो गई है तथा उक्त मुकदमें में तहसीलदार सैंथल द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसला देना अंकित किया है, किन्तु उक्त तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उसके तथ्य को बल मिलता हो। साथ ही पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त पत्रावली में रूचि लेकर एक पक्ष की बात बोलने का तथ्य भी अंकित किया है, लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा उक्त विचाराधीन पत्रावली में किस प्रकार रूचि ली जा रही है इसके संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। तहसीलदार सैंथल के न्यायालय में विचाराधीन उनवानी प्रकरण सुकली वगै0 बनाम महादेव वगै0 किस्म मुकदमा धारा 135(2) मु0नं0 3/2024 बाबत नामान्तरण सं0 372 दिनांक 20.8. 2007 में विधिवत रूप से सुनवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार सैंथल के द्वारा भी उक्त विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने में कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय तहसीलदार सैंथल में विचाराधीन प्रकरण उनवानी प्रकरण सुकली वगै0 बनाम महादेव वगै0 किस्म. मुकदमा धारा 135(2) मु0नं0 3/2024 बाबत नामान्तरण सं0 372 दिनांक 20.8.2007 को दीगर तहसीलदार को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय सैंथल को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 अप्रेल, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:30:37 IST
Reason: SelfAttested